क्षेत्रिय अस्पताल कुल्लू
सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि रोगी कल्याण समिति, क्षेत्रिय अस्पताल कुल्लू,जिला कुल्लू द्वारा नशा मुक्ति एवं पुर्नवास क्षेत्र भून्तर, नजदीक सब्जी मण्डी हेतु वाहन पार्किंग के लिए खुली नीलामी दिनांक 20.01.2026 को सांय 11:00 बजे अस्पताल के सभागार (Conference Hall, RH Kullu)में की जानी है।

क्रम संख्या	पार्किंग का ब्यौरा	वाहन क्षमता	अवधि	धरोहर राशि रु0	आरक्षित राशि प्रति वर्ष
1	नशा मुक्ति एवं पुर्नवास क्षेत्र भून्तर, नजदीक सब्जी मण्डी।	40	2 वर्ष	25,000/-रु0	1,00,000/-रु0

शर्तें व निबन्धनः—

1. धरोहर राशि बोली शुरु होने से पूर्व जमा करवाई जाएंगी।
2. सफल निविदाकार को पार्किंग का ठेका राशि की 25 प्रतिशत राशि बोली खत्म होने पर जमा करवानी होगी तथा शेष राशि 10 उत्तर दिनांकित चैक माल एवं सेवाकार सहित (पोस्ट डैटिड चैक) अग्रिम रुप में देने होंगे। ठेका राशि निर्धारित समय पर जमा नहीं करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा दूसरे उच्च बोलीदाता को मोलभाव (negotiation) हेतु बुलाया जाएगा।
3. आरक्षित राशि में परिवर्तन किया जा सकता है जिसका निर्णय मौके पर कमेटी द्वारा किया जाएगा।
4. प्रत्येक सफल निविदाकार की धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि में परिवर्तित किया जाएगा जिस पर काई ब्याज देय नहीं होगा।
5. विवाद की स्थिती में न्यायालय अधिकार क्षेत्र कुल्लू शहर होगा।
6. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, रोगी कल्याण समितिक्षेत्रिय अस्पताल कुल्लू या अन्य द्वारा लगाया गया कोई भी कर/माल एवं सेवाकार निविदाकार को अदा करना होगा और यह दरों में सम्मिलित करके मान्य नहीं होगा।
7. उच्चतम निविदाकार को बोली स्वीकृती होने पर रोगी कल्याण समिति क्षेत्रिय अस्पताल कुल्लू द्वारा तय शर्तों के अनुसार इकरारनामा/पट्टाविलेख निर्धारित अवधि के अन्दर–अन्दर निष्पदित करना होगा, अन्यथा निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशी को जब्त कर लिया जाएगा तथा उस द्वारा दी गई उच्चतम निविदा रद्द समझी जाएगी।
8. खुली बोली से सम्बंधित शुद्विपत्र व परिवर्तन क्षेत्रिय अस्पताल कुल्लू की वैवसाईट www.kulluhospital.com पर ही प्रकाशित होगा। अतः उपरोक्त वैवसाईट की समय–समय पर जांच करते रहें।
9. MC Kullu तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित दरों से यदि निविदाकार द्वारा वाहन शुल्क अिधक वसूल किया जाता है तो प्रथम शिकायत प्राप्त होने पर चेतावनी नोटिस जारी किया जाएगा तथा पुनः शिकायत एवं दोष सिद्व होने पर रु0 20,000/– जुर्माना वसूल किया जाएगा। यदि बार–बार अधिक वसूली बारे शिकायत प्राप्त होती है तो ठेका रद्ध कर दिया जाएगा। यह जुर्माना इकरारनामे की अन्य शर्तों की उल्लंघना करने पर भी वसूल किया जाएगा। पुनः शिकायत प्राप्त होने एवं दोष सिद्ध होने पर आबंटन रद्द कर दिया जाएगा व उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।
10. सदस्य सचिव, रोगी कल्याण समिति, क्षेत्रिय अस्पताल कुल्लू बिना कोई कारण बताए निविदा को स्थगित/रद्द/संशोधित करने का अधिकार रखते हैं।
11. सरकार एवं रोगी कल्याण समिति, क्षेत्रिय अस्पताल कुल्लू द्वारा समय–समय पर जारी समस्त दिशा निर्देश मान्य होंगे।

12. रोगी कल्याण समिति, क्षेत्रिय अस्पताल कुल्लू या उसके प्राधिकृत/कर्मचारी को ठेके पर आवंटित सम्पति का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
13. अनुबन्धनामा की शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुबन्ध रद्द समझा जाएगा और धरोहर राशी/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।
14. अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर यदि कोई नुकसान पाया जाता है तो उस स्थिति में प्रतिभूति राशि से नुकसान पाये जाने की राशि काटकर बाकी की राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जाएगी तथा ठेका पूरा होने पर निविदाकार को सम्पति का कब्जा शान्तिपूर्वक क्षेत्रिय अस्पताल कुल्लू को सौंपना होगा।
15. पार्किंग मे प्राकृतिक व अप्राकृतिकद स्थिति मे वाहनों को कोई क्षति पहुंचती है तो उसकी जिम्मेवारी क्षेत्रिय अस्पताल कुल्लू की नहीं होगी।
16. सूची में दर्शाई सम्पति में यदि बिजली, पानी की कोई भी राशि देय होगी तो उसका भुगतान सफल निविदाकार को स्वंय करना होगा।
17. क्षेत्रिय अस्पताल कुल्लू की पर्किंग को 2 बर्षों के लिए आवंटित किया जाएगा तथा ठेका अवधि समाप्ति के उपरान्त आगामी नीलामी तक पार्किंग का संचालन पूर्व ठेकेदार द्वारा ही किया जाएगा। संचालन पूर्व ठेका राशि के आधार पर करने का अधिकार होगा।
18. उच्चतम निविदाकार को पार्किंग स्थल पर तैनात कर्मचारी को पहचान पत्र व वर्दी जेकेट उपलब्ध करवाना होगा। जेकेट पर पार्किंग एटेंडेन्ट लिखा होना अनिवार्य है। ताकि पार्किंग कर्मचारी की पहचान की जा सके।

सदस्य सचिव,
रोगी कल्याण समिति, क्षेत्रिय अस्पताल कुल्लू।